9.5.18 पत्रावली केम्प कार्यालय में पेश हुई। T.D.L. HMH से इन्तकाल के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की जावे। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.6.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

5.6.18 पत्रावली पेश हुई। वाद-पत्र का कोई विरोध नही होने से मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय स
ास :– सुरेन्द्र
श उर्फ प्रकाश
पंचायत चौहिल
मार उर्फ प्रेमर
ढलावाली तहसील
ोलदार राजस्व
दा
स्थित :–
श्री योगेश झोर
श्री तरसेमसिंह
राजपैरोकार स्टे
संक्षेप रूप मे
ा हनुमानगढ़ के
नाण्ड एवं इसी
/0.127 कुल
भूमि पर वादी
आ रहे है परन्
काश चन्द पुत्र
पुत्र रामकरण
सीएस तहसी
ा 1.265 है0
/20 के प.न
काश पुत्र राम
रण है और
ण डिक्री कि
ल हनुमानगढ़
माण्ड एवं इ
/0.127 कु
निवासी चक
तरण दर्ज वि

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

जलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द उर्फ औमप्रकाश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस ग्राम पंचायत चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——वादी

बनाम

प्रेमकुमार उर्फ प्रेमराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस ग्राम पंचायत चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 405 सन् 2017
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एलआर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री योगेश झोरड़ एवं श्रीमति कल्पना बैनीवाल अधिवक्ता — वादी
2. श्री तररोमसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1
3. राजपैरोकार स्टेट — प्रतिवादी सं. 2

निर्णय **दिनांक :–** 5 6 18

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 1 सीएस हसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36 कि.न. 1 ता 5 कुल 1.265 0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20 के प.न. 107/361 मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 6/1/0.127 कुल 0.886 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। क्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 अपने हक व हिस्सा के अनुसार काबिज होकर काश्त रते आ रहे है परन्तु अलग अलग खातो के वादी का नाम अलग अलग दर्ज है जो वादी का म प्रकाश चन्द पुत्र रामकरण, औमप्रकाश पुत्र रामकरण के नाम दर्ज है जबकि वादी का नाम काश पुत्र रामकरण है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात मे प्रकाश पुत्र रामकरण दर्ज है। क 1 सीएस तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36 कि.न. 1 ता कुल 1.265 है0 भूमि प्रकाश चन्द पुत्र रामकरण के नाम से दर्ज है तथा इसी चक के खाता . 26/20 के प.न. 107/361 मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 16/1/0.127 कुल 0.886 है0 भूमि मप्रकाश पुत्र रामकरण के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि एक ही व्यक्ति है जो कि प्रकाश पुत्र मकरण है और वादी इसी अनुसार अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः वाद ादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि चक 1 सीएस हसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36 कि.न. 1 ता 5 कुल 1.265 0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20 के प.न. 107/361 मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 6/1/0.127 कुल 0.886 है0 मे संयुक्त खाता मे वादी का हिस्सा प्रकाश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस ग्राम पंचायत चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम ामान्तरण दर्ज किया जावें।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व वादी की ओर से स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

वादीगण की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन मे तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 1 सीएस खाता सं. 25/19 एवं इसी के खाता सं. 26/20 सम्वत 2073–76, नकल परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि प्रस्तुत किये गये तथा प्रतिवादी सं. 1 की ओर से राजीनामा के समर्थन मे साक्ष्य के तौर पर परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चौहिलावाली आदि प्रस्तुत किये।

Scanned by CamScanner

वाद–पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादी व प्रतिवादी
ां. 1 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं.
1 के नाम चक 1 सीएस तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36
कि.न. 1 ता 5 कुल 1.265 है0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20 के प.न. 107/361
मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 16/1/0.127 कुल 0.886 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता मे
दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रकरण मे पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका
है। चक 1 सीएस तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36 कि.न. 1
ता 5 कुल 1.265 है0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20 के प.न. 107/361 मु.न. 16
कि.न. 5,6, 15, 16/1/0.127 कुल 0.886 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता मे वादी का
हिस्सा प्रकाश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रेमकुमार पुत्र
रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने मे सहमत है। वाद
वादी मुताबिक राजीनामा चक 1 सीएस तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न.
107/364 मु.न. 36 कि.न. 1 ता 5 कुल 1.265 है0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20
के प.न. 107/361 मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 16/1/0.127 कुल 0.886 है0 अनकमाण्ड कृषि
भूमि संयुक्त खाता मे वादी का हिस्सा प्रकाश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस
एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रेमकुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस राजस्व रिकार्ड मे
दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। चक 1 सीएस राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने मे सहमत है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा चक 1 सीएस तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36 कि.न. 1 ता 5 कुल 1.265 है0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20 के प.न. 107/361 मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 16/1/0.127 कुल 0.886 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है। जिसमे वादी का क्रमशः प्रकाश चन्द पुत्र रामकरण एवं औमप्रकाश पुत्र रामकरण दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 का क्रमशः प्रेमकुमार पुत्र रामकरण एवं प्रेमराम पुत्र रामकरण दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात मे वादी का नाम प्रकाश पुत्र रामकरण है तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम प्रेमकुमार पुत्र रामकरण है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 राजीनामा के अनुसार दुरूस्ती करवाकर इसी अनुसार घोषणा करवाने हेतु सहमति दी है। कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 1 सीएस तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36 कि.न. 1 ता 5 कुल 1.265 है0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20 के प.न. 107/361 मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 16/1/0.127 कुल 0.886 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता मे प्रकाश चन्द पुत्र रामकरण एवं औमप्रकाश पुत्र रामकरण के स्थान पर प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द उर्फ औमप्रकाश पुत्र रामकरण एवं प्रेमकुमार पुत्र रामकरण एवं प्रेमराम पुत्र रामकरण के स्थान प्रेमकुमार उर्फ प्रेमराम पुत्र रामकरण दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज आज दिनांक 5.6.18...... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

3

(11)

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द उर्फ औमप्रकाश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस ग्राम पंचायत चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादी

बनाम

1. प्रेमकुमार उर्फ प्रेमराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चक 1 सीएस ग्राम पंचायत चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या 405 सन् 2017 निर्णय दिनांक 5.6.18........

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एलआर एक्ट

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री योगेश झोरड एवं श्रीमति कल्पना बैनीवाल तथा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री तरसेमसिंह की उपस्थिति मे निर्णय के अनुसार डिक्री की जारी की जाती है कि वादी का वाद–पत्र मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 1 सीएस तहसील हनुमानगढ के खाता सं. 25/19 प.न. 107/364 मु.न. 36 कि.न. 1 ता 5 कुल 1.265 है0 कमाण्ड एवं इसी चक के खाता सं. 26/20 के प.न. 107/361 मु.न. 16 कि.न. 5,6, 15, 16/1/0.127 कुल 0.886 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता मे प्रकाश चन्द पुत्र रामकरण एवं औमप्रकाश पुत्र रामकरण के स्थान पर प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द उर्फ औमप्रकाश पुत्र रामकरण एवं प्रेमकुमार पुत्र रामकरण एवं प्रेमराम पुत्र रामकरण के स्थान प्रेमकुमार उर्फ प्रेमराम पुत्र रामकरण दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 5.6.18........ को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner